

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1151]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2015/ज्येष्ठ 11, 1937

No. 1151]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2015 /JYAISTHA 11, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2015

का. आ.1451(अ).-- भुगतान तथा निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 की सं. 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा जून, 2015 के पहले दिन को उस तिथि के रूप में निर्धारित करती है जिस तिथि से उक्त अधिनियम के सभी उपबंध लागू होंगे।

[फा.सं. 6/1/2014-बीओ. II]

डॉ. शशांक सक्सेना, आर्थिक सलाहकार (एसएस)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2015

S.O.1451 (E) -- In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Payment and Settlement Systems (Amendment) Act, 2015 (No. 18 of 2015), the Central Government hereby appoints the 1st day of June, 2015, as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. 6/1/2014-BO.II]

Dr. SHASHANK SAKSENA, Economic Adviser (SS)

2424 GI/2015